रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2007/भाद्र 21, 1929
No. 183] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2007/BHADRA 21, 1929

राष्ट्रीय आवास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2007

सं. राआबैं/कर्मचारी/नीति/27.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन, निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन एवं केन्द्र सरकार के परामर्श से, एतद्द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारीगण) सेवा विनियमावली, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारीगण) (संशोधित) सेवा विनियम, 2007 कहे जाएंगे ।

(2) इन विनियमों में यथा अन्यथा उपबंधित को छोड़ कर, वे राजकीय राजपत्र (गजट) में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारीगण) सेवा विनियमावली, 1997 में,

(i) उप-विनियम (1) के लिए, विनियम 4 में, उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) अप्रैल, 1998 के प्रथम दिन से, प्रत्येक ग्रेड के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्न प्रकार से होंगे:—

ग्रेड	स्केल	वेतनमान
(क) विशेष ग्रेड	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यपालक निदेशकों के लिए यथा लागू	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यपालक निदेशकों के लिए यथा लागू
(ख) उच्च कार्यपालक ग्रेड	स्केल - VII	19340-420/2-20180-520/1-20700-600/1-21300 रुपए
	स्केल - VI	17660-420/4-19340 रुपए
(ग) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड	स्केल-V	16140-380/4-17660 रुपए
	स्केल-IV	13900-340/1-14240-380/5-16140 रुपए
(घ) मध्य प्रबंधन ग्रेड	स्केल - III	12540-340/5-14240-380/2-15000 रुपए
	स्केल - II	9820-340/11-13560 रुपए
(ङ) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड	स्केल - I	7100-340/16-12540 रुपए

स्पष्टीकरण : विशेष ग्रेड का अर्थ वेतन, भत्ते और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यपालक निदेशकों के लिए यथा लागू अन्य अनुलर्ध्यां ।

टिप्पणी : प्रत्येक वह अधिकारी, जो यथा 31 मार्च, 1998 को यथा लागू वेतनमान से संचालित होता है, उसे अवस्था से अवस्था के आधार पर, अर्थात् संबंधित वेतनमानों में अगली प्रथम अवस्था से तद्नुरूपी अवस्थाओं में, यथा अप्रैल, 1998 के प्रथम दिन यथा इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में रख दिया जाएगा और वेतनवृद्धियां, जहां अन्यथा उपबंधित हैं, के अतिरिक्त, सामान्यतया वर्षगांठ से प्रारम्भ होंगी;"

(ii) विनियम-5 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"**5. वेतनवृद्धियां** : (1) अप्रैल, 1998 के प्रथम दिन को और इस दिन से, विनियमन-4 के उप-विनियमन के उपबंधों के अध्यधीन, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित खंडों के अध्यधीन प्रदान की जाएंगी :-

क. विनियमन-4 में निर्धारित वेतनमान में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होती हैं और उस महीने, जिसमें ये देय हो जाती हैं, के प्रथम दिन से प्रदान की जाएंगी ।

ख. स्केल-I और स्केल-II के अधिकारियों को उनके संबंधित स्केल में अधिकतम पर पहुंचने के 1 वर्ष बाद, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दक्षता अवरोध पार करने के अध्यधीन, नीचे खंड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट केवल आगामी उच्चतर स्केल में वेतनवृद्धि गतिरोध सहित, आगामी वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी ।

ग. उपर्युक्त खंड में यथा निर्दिष्ट अधिकारियों सहित, वे अधिकारी यथास्थिति, स्केल-II अथवा स्केल-III की अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद, सेवा के प्रत्येक तीन परिपूर्ण वर्षों के लिए गतिरोध वेतनवृद्धि(यां) आहरित करेंगे किन्तु यह स्केल-II की अंतिम अवस्था में अधिकारियों के लिए प्रत्येक 340/-रुपए की ऐसी अधिकतम दो वेतनवृद्धियों के और स्केल-III की अंतिम अवस्था में अधिकारियों के लिए 380/-रुपए की एक ऐसी वेतनवृद्धि के अध्यधीन होगा ।

बशर्ते कि नियुक्ति की तारीख को इससे आगे, मूल स्केल-III के वे अधिकारी, जो स्केल-III में भर्ती अथवा पदोन्नत किए गए, प्रथम गतिरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष बाद द्वितीय गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए ग्राह्य होंगे ।

टिप्पणी : आगामी उच्चतर स्केल में ऐसी वृद्धि की मंजूरी पदोन्नति नहीं होगी । ऐसी वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद भी, यथास्थिति, अधिकारीगण विशेष सुविधा, अनुलर्ध्यां, शुल्क, उत्तरदायित्व अथवा अपने मूल स्केल-I अथवा II में पाते रहेंगे ।

(2) एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट/भारतीय बैंकर्स संस्थान के कनिष्ठ एसोसिएट के भाग-I और भारतीय बैंकर्स संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा का भाग-II उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक वेतनमान में प्रदान की जाएगी ।

स्पष्टीकरण : (क) किसी ऐसे अधिकारी, जिसने भारतीय बैंकर्स संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा का भाग-I अथवा भाग-II नियुक्ति की तारीख से पूर्व एक अधिकारी के रूप में, उत्तीर्ण कर लिया है, के मामले में, यथास्थिति अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां नियुक्ति की तारीख से दी जाएंगी, बशर्ते कि उसने कथित परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने के लिए कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं की है अथवा केवल एक वेतनवृद्धि प्राप्त कर चुका है ।

(ख) नियुक्ति की तारीख को और इससे जो अधिकारी वेतनमान में अधिकतम पर पहुंच चुके हैं अथवा जिनको पहुंचना है और पदोन्नति के रास्ते के अतिरिक्त आगे बढ़ने में असमर्थ हैं, उन्हें भारतीय बैंकर्स संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रतिफल स्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के बजाए निम्नलिखित व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा :-

जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा में केवल भाग-I उत्तीर्ण किया है, उन्हें वेतनमान में शीर्ष पर पहुंचने के 1 वर्ष बाद 120/-रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा ।

जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान की प्रमाणित एंसोसिएट परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं, उन्हें -

(i) वेतनमान के शीर्ष पर पहुंचने के 1 वर्ष बाद 120/-रुपए मासिक;
(ii) वेतनमान के शीर्ष पर पहुंचने के 1 वर्ष बाद 300/-रुपए मासिक दिए जाएंगे ।

बशर्ते कि जो अधिकारी विनियमन-5 के उप-विनियमन (3) के खंड (क) के अनुसार नियत व्यक्तिगत भत्ता पाने के लिए ग्राह्य हैं, वे क्रमशः भाग-I एवं भाग-II के लिए ऐसे नियत व्यक्तिगत भत्ते की प्राप्ति के एक अथवा दो वर्षों के बाद व्यावसायिक अर्हता भत्ता आहरित करेंगे ।

(ग) 01 नवम्बर, 1999 को अथवा इससे अन्य बातें समान होने से, व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रमात्रा, यथा निम्न संशोधित हो जाएगी :-

जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान संयुक्त एसोसिएट परीक्षा अथवा इसी संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा का भाग-I उत्तीर्ण कर लिया है ।	उन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के 1 वर्ष बाद 150/-रुपए मासिक ।
जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान की संयुक्त एसोसिएट परीक्षा और इसी संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा और इसी परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं ।	उन्हें - (i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद 150/-रुपए मासिक । (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष बाद 360/-रुपए मासिक दिए जाएंगे ।

बशर्ते कि जो अधिकारी स्केल-I और स्केल-II में हैं और आगामी उच्चतर स्केल में अगली वेतनवृद्धि प्रदान किए जाते हैं, जैसा कि उप-विनियमन-1 के खंड (ख) में विहित है, वे यथास्थिति ऐसे उच्चतर स्केल के अधिकतम पर पहुंचने पर एक अथवा दो वर्षों बाद व्यावसायिक अर्हता वेतन आहरित करेंगे ।

टिप्पणियां

(i) यदि किसी अधिकारी, जिसे व्यावसायिक अर्हता वेतन मिलता है, को आगामी उच्चतर स्केल में पदोन्नत किया जाता है, तब ऐसे उच्चतर स्केल में रखा जाने पर, भारतीय बैंकर्स संस्थान की संयुक्त एसोसिएट परीक्षा/इसी संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उतनी अतिरिक्त वेतनवृद्धि(यां), जितनी कि स्केल में उपलब्ध है, उसे प्रदान की जाएंगी और यदि स्केल में कोई वेतनवृद्धि उपलब्ध नहीं है, तब वह अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के स्थान पर व्यावसायिक अर्हता वेतन के लिए ग्राह्य होगा ।

(ii) व्यावसायिक अर्हता भत्ता अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन, यथास्थिति, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ की श्रेणी में आएंगे ।

"3(क) ऐसा कोई भी अधिकारी, जो स्केल के अधिकतम पर है अथवा जिसे गतिरोध वेतनवृद्धि(यां) 01 नवम्बर, 1993 से मिल रही हैं, वह 01 नवम्बर, 1993 को नियत व्यक्तिगत भत्ता आहरित करेगा जो आहरित की गई अंतिम वेतनवृद्धि की राशि के +(जमा) यथा 01 नवम्बर, 1993 को उस पर संदेय मंहगाई भत्ते + (जमा) विनियमन-16 के अनुसार यथा लागू दरों पर मकान किराया भत्ते के समतुल्य होगी । निम्नलिखित नियत व्यक्तिगत भत्ता राशि और मकान किराया भत्ता, यदि कोई है, सम्पूर्ण सेवा अवधि के लिए कीलित रहेगा ।

वेतनवृद्धि संघटक	**यथा 1.11.1993 को मंहगाई भत्ता**	**जहां बैंक की ओर से निवास स्थान उपलब्ध कराया गया है, वहां संदेय कुल नियत व्यक्तिगत भत्ता**
(क) रुपए	(ख) रुपए	(ग) रुपए
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(ख) 01 नवम्बर, 1993 को और इससे आगे अन्य बातों के समान होने पर, नियत व्यक्तिगत भत्ता एवं मकान किराया भत्ता, यदि कोई है, निम्न प्रकार से दिया जाएगा :-

वेतनवृद्धि संघटक	**यथा 1.11.1997 को मंहगाई भत्ता**	**जहां बैंक की ओर से निवास स्थान उपलब्ध कराया गया है, वहां संदेय कुल नियत व्यक्तिगत भत्ता**
(क) रुपए	(ख) रुपए	(ग) रुपए
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

टिप्पणियां

(i) खंड (क) एवं (ख) के स्तंभ (ग) में यथा उपदर्शित नियत व्यक्तिगत भत्ता/नियत व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारियों को संदेय होगा जिन्हें बैंक की ओर से निवास स्थान उपलब्ध कराया जाता है ।

(ii) मकान किराया भत्ते के लिए ग्राह्य अधिकारियों को नियत व्यक्तिगत भत्ता/नियत व्यक्तिगत वेतन संबंधित अधिकारी द्वारा उस समय आहरित (क)+(ख) मकान किराया भत्ता होगा, जब सुसंगत वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि, जैसी कि विनियमन-4 के उप-विनियमन (2) के अधीन स्पष्टीकरण यथा विनिर्दिष्ट, अर्जित की जाती है ।

(iii) 01 नवम्बर, 1993 से और इससे आगे व्यावसायिक अर्हता वेतन जारी करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि नियत व्यक्तिगत वेतन जारी करने के मद्दे उप-विनियमन (2) के अधीन स्पष्टीकरण में उल्लिखित है ।

बशर्ते कि जहां व्यावसायिक व्यक्तिगत वेतन की कोई किस्त, जो पूर्व प्रावधान के मद्दे किसी वर्ष में ले जाई गई है और 01 नवम्बर, 1993 को अथवा इसके बाद जारी की जाने के लिए निश्चित है, वहां यह अधिकारी के लिए इस तारीख को और इससे जारी की जाएगी तथा नियत व्यावसायिक व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई है, पर द्वितीय किस्त 01 नवम्बर, 2000 को जारी की जाएगी ।

(iv) नियत व्यक्तिगत भत्ते अथवा नियत व्यक्तिगत वेतन का वेतनवृद्धि संघटक सेवानिवृत्ति लाभों की श्रेणी आएंगे ।"

(iii) विनियमन-15 में :-

(क) खंड (क) और (ख) को यथा क्रमशः उप-विनियमावली (1) एवं (2) की संख्या दी जाएगी ।
(ख) इस प्रकार से पुनर्संख्यक उप-विनियमन (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

"(3) 01 अप्रैल, 1998 को और इससे मंहगाई भत्ता योजना यथा निम्न प्रकार से होगी :-

(क) अखिल भारतीय औसत श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य)आधार 1960=100 के त्रैमासिक औसत में 1684 बिंदुओं पर चार बिंदुओं के प्रत्येक उत्थान और पतन के लिए मंहगाई भत्ता संदेय होगा ।
(ख) मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों से संदेय होगा :-

(i) 7100/-रुपए तक 'वेतन' का 0.24% + (जमा)
(ii) 7100/-रुपए से अधिक 11300/-रुपए तक 'वेतन' का 0.20% + (जमा)
(iii) 11300/-रुपए से अधिक 12025/- रुपए तक 'वेतन' का 0.12% + (जमा)
(iv) 12025/- रुपए से अधिक 'वेतन' का 0.06% ।

टिप्पणी

(क) मंहगाई भत्ते के प्रयोजनार्थ 'वेतन' का अर्थ गतिरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन होगा ।

(ख) व्यावसायिक अर्हता भत्ता अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन, जैसा कि विनियमन-5 के उप-विनियमन -2 के स्पष्टीकरण (ख) एवं (ग) विनिर्दिष्ट हैं, मंहगाई भत्ते की श्रेणी में आएगा ।

(ख) विनियमन-16 के लिए, निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

"16. मकान किराया भत्ता

यदि किसी अधिकारी को बैंक की ओर से निवास स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है, तब वह 01 नवम्बर, 1999 को और इससे आगे निम्नलिखित दरों से मकान किराया भत्ते के लिए ग्राह्य होगा :-

जहां कार्यस्थल निम्नलिखित में है (स्तंभ-I)	**वहां संदेय मकान किराया भत्ता निम्नलिखित होगा (स्तंभ-II)**
(i) सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट बड़े 'क' वर्ग के नगरों में और ग्रुप 'ए' में परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	मूल वेतन का 0% मासिक
(ii) क्षेत्र-I के स्थानों और ग्रुप 'बी' में परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	वेतन का 8% मासिक
(iii) क्षेत्र-II, जो उपर्युक्त (i) एवं (ii) में शामिल नहीं है, में	वेतन का 7% मासिक

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तब उसे संदेय मकान किराया भत्ता, उस वेतनमान, िसमें उसे रखा जाता है, की प्रथम अवस्था में वेतन के 2.5% से अधिक उसकी ओर से अपने निवास स्थान के लिए संदत्त वास्तविक किराया अथवा उपर्युक्त स्तंभ-II के अनुसार 150% संदेय मकान किराया भत्ता में से जो भी कम होता है, वही होगा ।

टिप्पणी

(i) मकान किराया भत्ता के प्रयोजनार्थ 'वेतन' का अर्थ गतिरोध वेतनवृद्धियों सहित मूल वेतन होगा ।

(ii) यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ता अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन 01 नवम्बर, 1994 से मकान किराया भत्ते की श्रेणी में आएगा ।

(ख) स्वयं अपने निवास स्थान में रहने वाला कोई भी अधिकारी मकान किराया भत्ता के लिए उसी आधार पर ग्राह्य होगा जैसा कि उप-विनियमन (2) के परंतुक में उल्लिखित जैसे कि वह नीचे 'क' अथवा 'ख' के उच्चतर 1/12 के समतुल्य रकम मासिक किराए के रूप में दे रहा हो ।

'क'

निम्नलिखित का कुल योग -

(i) निवास स्थान के संबंध में संदेय नगरपालिका के टैक्सों और

(ii) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूंजीगत लागत के 12% और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है, तब पूंजी के समानुपातिक भाग का है, तब उस निवास स्थान पर आरोप्य भूमि की पूंजीगत लागत, िासमें वातानुकूलन व्यवस्था जैसे विशेष फिक्सचरों की लागत शामिल नहीं है, अथवा

'ख'

निवास स्थान का लिया गया वार्षिक भाटक मूल्य अथवा उसका नगरपालिका का आकलन ।

स्पष्टीकरण : (1) इस विनियमन के प्रयोजनार्थ, 'मानक किराया' से अर्थ है -

(क) बैंक के स्वामित्वाधीन किसी भी निवास स्थान के मामले में क्रियाविधि क अनुसार परिकलित मानक किराया, क्योंकि सरकार में ऐसा परिकलन ही प्रचलित है ।

(ख) बैंक की ओर से किराए पर लिए गए निवास स्थान के मामले में, बैंक द्वारा संदेय संविदागत किराया अथवा उपर्युक्त 'क' में क्रियाविधि के अनुसार परिकलित किराए में से जो भी कम है ।

(2) इस विनियमन में, क्षेत्र-I और क्षेत्र-II का अर्थ निम्न प्रकार से होगा :-

क्षेत्र-I - 12 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले स्थान ।
क्षेत्र-II - वे सभी स्थान, जो क्षेत्र-I में शामिल नहीं हैं ।

(v) विनियमन-17 में -

(ख) खंड (i) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

"(i) **नगर प्रतिपूरक भत्ता** : 01 नवम्बर, 1999 को एवं इससे आगे, यदि कोई अधिकारी निम्न तालिका के स्तंभ-1 में वर्णित स्थान पर सेवारत है, तब उसे उस स्थान के लिए निम्न तालिका के ही स्तंभ में वर्णित दर से नगर प्रतिपूरक भत्ता संदेय होगा :-

स्थान 1	दर 2
(क) क्षेत्र-I में और गोवा राज्य के स्थान	मूल वेतन का 4% किंतु अधिकतम 375/-रुपए मासिक ।
(ख) 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले स्थान और राज्य की राजधानियां तथा उपर्युक्त (क) में अपवर्ा ित चंडीगढ़, पांडिचेरी तथा पोर्टब्लेयर ।	मूल वेतन का 3% किंतु अधिकतम 250/-रुपए मासिक ।

(ख) खंड (ii) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिप्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"**(ii) प्रतिनियुक्ति भत्ता** : 01 नवम्बर, 1999 को अथवा इससे आगे यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तब वह िस पद पर नियुक्त किया जाता है, उससे संबंधित परिलधियां प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है । वैकल्पिक रूप से वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75% का प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित कर सकता है जो कि अधिकतम 1000/-रुपए मासिक होगा और ऐसे अन्य भत्ते, वह तब आहरित करता यदि उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात किया जाता ।

बशर्ते, यदि उसे ऐसे किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो उसी स्थान पर है, जहां अपनी प्रतिनियुक्ति से पूर्व तत्काल तैनात था, तो उसे उसके वेतन के 4% के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा जो कि अधिकतम 500/-रुपए मासिक होगा ।

इसके अतिरिक्त भी, बशर्ते कि कोई अधिकारी किसी प्रशिक्षण संस्थान में एक संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्ति पर है, तब वह अपने वेतन का 4% प्रतिनियुक्ति भत्ता के लिए ग्राह्य होगा जो कि अधिकतम 500/-रुपए मासिक होगा ।

(ग) खंड (iii) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"**(iii) शैक्षिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरण भत्ता** : नियुक्ति की तारीख को अथवा इससे आगे, यदि किसी अधिकारी को एक स्थान से अन्य स्थान पर शैक्षिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसका एक अथवा एक से अधिक बच्चे पूर्वतम स्थान पर स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तब उसे सभी बच्चों के संबंध में शैक्षिक वर्ष के अंत तक परवर्ती स्थान पर उसके रिपोर्ट करने की तारीख से 300/-रुपए मासिक मध्य शैक्षिक वर्ष संबंधी भत्ता मिलेगा, बशर्ते कि यह भत्ता तब समाप्त हो जाएगा, यदि उसके सभी बच्चे पूर्वतम स्थान पर पढ़ना बंद कर देते हैं ।"

(vi) विनियमन 18 में, उप-विनियमन-1 के खंड (ख) में उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

"(iv) 01 नवम्बर, 1999 को और इससे आगे, ऊपर उप-खंड में वर्णित बीमारियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित बीमारियां, अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहने से, आवासीय ि कित्सा के लिए ग्राह्य हो जाएंगी ।

यकृत-शोथ -बी, रक्त का अधिस्राव और (माइस्थेनियाग्रेविस) पेशी-दुर्बलता ।

(vii) विनियमन-19 के लिए, निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"**19. निवास स्थान** : (1) बैंक की ओर से निवास स्थान प्रदान किया जाने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं होगा । तथापि, यह बैंक पर निर्भर होगा कि बैंक किसी अधिकारी को भुगतान करने पर निवास स्थान 01 नवम्बर, 1999 को और आगे प्रदान करे । निवास स्थान के लिए वेतनमान, ि ासमें वह रखा जाता है, में मूल वेतन के 2.5% के बराबर रकम अथवा निवास स्थान के लिए मानक किराए में से जो भी कम हो, उतना भुगतान करना होगा ।

बशर्ते कि जहां ऐसे निवास स्थान पर अधिकारी को फर्नीचर दिया जाता है, इसके लिए उस वेतनमान, ि ासमें, उसे रखा जाता है, के मूल वेतन से 0.5% के बराबर रकम बैंक द्वारा उससे वसूल की जाएगी ।

इसके अतिरिक्त भी, बशर्ते कि जहां ऐसा निवास स्थान बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वहां ि ाजली, पानी, गैस और सफाई इत्यादि का व्यय स्वयं अधिकारी वहन करेगा ।"

(viii) विनियमन-25 में, उप-विनियमन (2) में निम्नलिखित परंतुक निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

"बशर्ते कि वर्ष 2001 में अथवा किसी भी पश्चात्वर्ती वर्ष में नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टियां आने वाले तीन वर्षों में रुग्ण अवकाश में पहले अथवा बाद में जोड़ी जा सकती हैं ।"

(ix) विनियमन-28 में, निम्नलिखित परंतुक निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

"बशर्ते कि 29 जून, 1999 को अथवा इसके बाद लिये गये अतिरिक्त रुग्ण अवकाश के मामले में, अतिरिक्त रुग्ण अवकाश के परिवर्तन की अनुमति विनियमन-27 के उप-विनियमन (2) के अनुसार दी जा सकती है ।"

(x) विनियमन-29 के लिए, निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"**29. प्रसूति अवकाश** : (1) 01 अप्रैल, 2000 को और उससे आगे, एक समय में 6 महीनों की अवधि प्रसूति अवकाश के रूप में मंजूर की जा सकती है ि ासमें प्रसवोत्तर अवधि अथवा गर्भस्राव अथवा गर्भपात अथवा गर्भावस्था की ि ाकित्सकीय समाप्ति की अवधि भी शामिल है ।

बशर्ते इस प्रकार के अवकाश का लाभ अधिकारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि में 12 महीनो से अधिक समय तक नहीं उठाया जा सकता है ।

(2) किसी शिशुहीन महिला कर्मचारी को सेवा के दौरान केवल एक बार वैध रूप से किसी बच्चे को गोद लेने के लिए भी अवकाश मंजूर किया जा सकता है । गोद लिया जाने वाला बच्चा एक वर्ष की आयु से कम हो, उसकी एक वर्ष की आयु पहुंचने तक अवकाश मंजूर किया जाएगा जो कि निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर अधिकतम दो महीने की अवधि के अध्यधीन होगा :-

(i) अवकाश केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए मंजूर किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को गोद उचित विधिक प्रक्रिया के माध्यम से लिया जाना चाहिए और अधिकारी को ऐसा अवकाश मंजूर करने के लिए अंगीकरण विलेख (गोद लेने के कागजात) प्रस्तुत करने चाहिएं ।

(xi) विनियमन 32 के लिए, निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"32. **अवकाश व्यपगत होना** : यहां नीचे उपबंधित को छोड़कर, किसी भी अधिकारी के खाते में जमा सभी अवकाश त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्त होने, मृत्यु हो जाने , कार्यमुक्त किया जाने, बर्खास्तगी अथवा सेवा समाप्ति पर व्यपगत हो जाएगा ।

बशर्ते कि जब कोई अधिकारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तब वह उस विशेषाधिकार अवकाश, जो उसने संचित किया है, के लिए 240 दिनों से अनधिक की किसी अवधि की परिलब्धियों के समतुल्य एक रकम का भुगतान किया जाने के लिए ग्राह्य होगा ।

इसके अतिरिक्त भी, बशर्ते कि जब कोई अधिकारी सेवारत रहते हुए मर जाता है, तब उसके वैध प्रतिनिधियों को उसकी मृत्यु की तारीख को उसके खाते में जमा विशेषाधिकार अवकाश के 240 दिनों से अनधिक, उस अवधि के लिए परिलब्धियों के समतुल्य एक रकम संदेय होगी ।

और भी, बशर्ते कि जहां कोई अधिकारी विनियमन-14 के उप-विनियमन (2) के खंड (क) के अधीन देय सूचना देने के बाद, 01 अप्रैल, 2001 को अथवा इसके बाद त्यागपत्र देकर अपनी सेवाएं छोड़ता है अथवा बंद कर देता है, तब उसे सेवा समाप्त होने की तारीख को उसके खाते में जमा ऐसे अवकाश के आधे तक विशेषाधिकार अवकाश के संबंध में परिलब्धियों के समतुल्य एक रकम का भुगतान किया जाएगा जो कि अधिकतम 120 दिनों तक के लिए हो सकता है ।

(xii) विनियमन-33 के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

"और यदि वह अधिकारी और उसके परिवार के सदस्य उसी स्टेशन, जहां से उसे बुलाया गया था, पर वापस जाते हैं, तब वापसी यात्रा के लिए भी ।"

(xiii) विनियमन-35, उप-विनियमन (4) में,

(क) परंतुक से पूर्व, निम्नलिखित निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

"01 नवम्बर, 2003 को और इससे आगे, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ-1 में दिए गए ग्रेड/स्केल का अधिकारी, उसी के स्तंभ-2 में निर्धारित तदनुरूपी दरों पर 'प्रतिदिन' के विराम भत्ते का हकदार होगा ।

अधिकारी का ग्रेड/स्केल	श्रेणी 'क' के बड़े नगर	क्षेत्र-1	अन्य स्थान
स्केल-IV और ऊपर के अधिकारी	340/-रुपए	270/-रुपए	240/-रुपए
स्केल-I/II/III के अधिकारी	270/-रुपए	240/-रुपए	200/-रुपए

(ख) परंतुक (ख) के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"01 नवम्बर, 2003 को और उससे आगे, पूर्वतम ग्रेड/स्केल के अधिकारियों को भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में एकल कमरे के निवास स्थान तक प्रतिबंधित, होटल के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो कि नीचे दी गई सीमा के अध्यधीन होगी :-

अधिकारी का ग्रेड/स्केल	ठहरने की ग्राह्यता	भोजन व्यवस्था प्रभार (रुपए)		
		श्रेणी 'क' बड़े नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
स्केल VI एवं VII	4* होटल	340/-	270/-	240/-
स्केल-V	3* होटल	340/-	270/-	240/-
स्केल-IV	3* होटल	340/-	270/-	240/-
स्केल II एवं III	2* होटल (वातानुकूलन रहित)	270/-	240/-	200/-
स्केल-I	1* होटल (वातानुकूलन रहित)	270/-	240/-	200/-

(xiv) विनियमन-36 में -

(क) उप-विनियमन (2) में, खंड (i) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(i) अप्रैल, 1998 के प्रथम दिन और इससे आगे , किसी भी अधिकारी को स्थानान्तरण पर निम्नलिखित सीमा तक मालगाड़ी से अपना सामान लेजाने के लिए उसके वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी :-

वेतन श्रृंखला	अधिकारी के परिवार सहित	परिवार रहित अधिकारी को
7100/-रुपए प्रति माह से 9820/-रुपए प्रति माह	3000 किलो	1500 किलो
9821/-रुपए एवं अधिक	पूरा वैगन	2500 किलो

(ख) उप-विनियमन (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(3) नियुक्ति की तारीख को और उससे आगे, कोई भी अधिकारी स्थानान्तरण पर सामान इत्यादि के बांधने, स्थानीय परिवहन, बीमा कराने से संबंधित व्यय हेतु निम्नलिखित एकमुश्त रकम आहरित करने के लिए ग्राह्य होगा :-

स्केल	एकमुश्त रकम
स्केल-IV और उससे ऊपर के अधिकारी	5000/-रुपए
स्केल-I/II/III के अधिकारी	4000/-रुपए

(xv) विनियमन-39, उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(2) (क) पेंशन योजना से संचालित अधिकारी के मामले में भविष्यनिधि में अधिकारी द्वारा अंशदान केवल वेतन के 10% की दर से, बैंक द्वारा उतने ही अंशदान के िना किया जाएगा ।

(ख) पेंशन योजना से संचालित नहीं होने वाले अधिकारी के मामले में, भविष्यनिधि में अधिकारी द्वारा अंशदान और बैंक द्वारा उतना ही अंशदान वेतन के 10% की दर से किया जाएगा ।

(3) 20 मई, 2003 को अथवा इसके बाद बैंक की सेवाएं ग्रहण करने वाले अधिकारी पेंशन योजना से संचालित होंगे ।

बशर्ते कि अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे -

(क) 20 मई, 2003 से पूर्व बैंक में सेवारत कोई भी अधिकारी, िसने अभी तक पेंशन से संबंधित बैंक की सूचना के प्रत्युत्तर में पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया है ।

(ख) कोई भी अधिकारी, जो 35 वर्ष और अधिक की आयु में, 20 मई, 2003 को अथवा इसके बाद भर्ती किया जाता है और िसने पेंशन योजना के अनुसार पेंशन को छोड़ना चुन लिया है ।

टिप्पणी

भविष्य निधि के प्रयोजनार्थ 'वेतन' का अर्थ गतिरोध वेतनवृद्धि, व्यावसायिक अर्हता भत्ता और नियत व्यक्तिगत भत्ते के वेतनवृद्धि संघटक सहित 'मूल वेतन' होगा ।"

(xvi) विनियमन-40, उप-विनियमन (2) में प्रथम परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

"इसके अतिरिक्त भी, बशर्ते कि किसी अधिकारी, जो 01 अप्रैल, 1998 से 31 अक्तूबर, 1999 तक की अवधि के दौरान सेवा में नहीं रहता है, के उपदान (ग्रेच्युटी) के उद्देश्य से वेतन, वेतनमान से संबंधित होगी, जैसा कि विनियमन-4 के उप-विनियमन (1) में विनिर्दिष्ट है ।"

पी. के. कौल, महाप्रबंधक
[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/157/07]

टिप्पणी : मुख्य विनियमावली भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i), जीएसआर सं.213(ई) में दिनांक 11 अप्रैल, 1997 को प्रकाशित और जीएसआर सं.650(ई) दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 में संशोधित की गई थी ।

NATIONAL HOUSING BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2007

No. NHB/STF/POL/27.—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board with the provious approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the National Housing Bank (Officer's) Service Regulations 1997, namely:—

1. (1) These regulations may be called the National Housing Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2007,

(2) Save as otherwise provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Housing Bank (Officers') Service Regulations, 1997, (i) in regulation 4, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) With effect from 1st day of April, 1998, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

Grade	Scale	Scale of pay
(a) Special Grade	As applicable to the Executive Directors of the nationalised banks	As applicable to the Executive Directors of the nationalised banks
(b) Top Executive Grade	Scale VII	Rs.19340-420/2 - 20180-520/1 - 20700-600/1-21300
	Scale VI	Rs.17660-420/ 4 - 19340
(c) Senior Management Grade	Scale V	Rs.16140-380/ 4 - 17660
	Scale IV	Rs. 13900-340/1 - 14240-380/5 - 16140
(d) Middle Management Grade	Scale III	Rs.12540-340/5 - 14240-380/2 - 15000
	Scale II	Rs. 9820-340/11- 13560
(e) Junior Management Grade	Scale I	Rs. 7100-340/ 16 -12540

3757 GI/07-4

Explanation: Special Grade means Pay, Allowances and other perquisites as applicable to Executive Directors of the Nationalised Banks.

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st day of March, 1998 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st day of April, 1998 on stage to stage basis i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.";

(ii) for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely:-

" 5. **Increments** :- (1) Subject to the provisions of sub-regulation (1) of regulation 4, on and from 1st day of April, 1998, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses:-

(a) The increment specified in the scale of pay set out in regulation 4 shall, subject to sanction of Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in the Scale – I and Scale – II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.

(c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scale II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs. 340/- each for Officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.380/- for officers in the last stage of Scale III.

Provided that on and from the appointed date, officers in substantive Scale III, i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

Note: Grant of such increment in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increment shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or post of their substantive Scale I or II, as the case may be.

(2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers / Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

EXPLANATION: (a) In case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date, provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said examination.

(b) On and from the appointed date, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing the Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination as under:-

Those who have passed only Part I of the Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination:-Rs. 120/- p.m. after one year on reaching the top of the scale

Those who have passed both parts of the Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination:
(i) Rs. 120/- p. m. after one year on reaching the top of the scale;
(ii) Rs. 300/-p.m. after two year on reaching the top of the scale:

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year or two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and Part II, as the case may be.

(c) On and from 1st November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:

Those who have passed the Joint Associate of Indian Institute of Bankers Examination or Part I of the Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination:	Rs. 150/- p.m after one year on reaching maximum of scale.
Those who have passed the Joint Associate of Indian Institute of Bankers Examination and the Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.	(i) Rs. 150/- p.m after one year on reaching maximum of scale. (ii) Rs.360/- after two years on reaching maximum of scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as prescribed in clause (b) of sub-regulation 1 shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scale."

Notes:

(i) If an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Joint Associate of Indian Institute of Bankers Examination/ Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination to the extent the increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation benefits.

"(3) (a) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November, 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 16. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service.

Increment Component	DA as on 1-11-1993	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided.
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(b) On and from 1st November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be given as under:

Increment Component	Dearness Allowance as on 1-11-1997	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided.
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

Notes:

(i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under column (C) in clauses (a) and (b) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.
(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (1) and (2) of regulation 4 is earned.

(iii) On and from 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as mentioned in Explanation (b) under sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay.

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment on Professional Qualification Pay, if any, shall be released on 1st November, 2000.

(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.";

(iii) in regulation 15,

(a) the clauses (a) and (b) shall be re-numbered as sub-regulations (1) and (2) respectively.
(b) after sub-regulation (2), so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"**(3)** On and from 1st April, 1998, Dearness Allowance Scheme shall be as under:-

(a) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.
(b)] Dearness Allowance shall be payable as per the following rates:-

(i) 0.24% of 'pay' up to Rs. 7,100/- plus.
(ii) 0.20% of 'pay' above Rs. 7,100/- to Rs.11,300/- plus.
(iii) 0.12% of 'pay' above Rs. 11,300/- to Rs. 12,025/- plus.
(iv) 0.06% of 'pay' above Rs. 12,025/-

Note:

(A) 'Pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanation (b) and (c) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.";

(b) for regulation 16, the following regulations shall be substituted, namely:-

"16 House Rent Allowance

Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from 1st November, 1999 for House Rent Allowance at the following rates:

Where the place of work is in [Column I]	**House Rent Allowance payable shall be [Column II]**
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'	9% of the pay p.m.
(ii) Places in area I and Project Area Centres in Group 'B'	8% of the pay p.m.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above.	7% of the pay p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess of 2.5% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above, whichever is less.

Note:

(i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments;

(ii) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from 1st November, 1994.

(b) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of 'A' or 'B' below:

'A'

The aggregate of:

i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and

ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air-conditioners: or

'B'

The annual rental value taken or municipal assessment of the accommodation.

EXPLANATION:- (1) For the purpose of this regulation, "Standard Rent" means:

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government:
(b) Where accommodation is hired by the Bank, contractual rent payable by the Bank or rent calculated in accordance with the procedure in (A) above, whichever is lower.

(2) In this regulation, Area I and Area II shall mean as under:

Area I -Places with population of more than 12 lakhs.
Area II - All places not included in Area I.";

(v) in regulation 17,

(b) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

" (i) **City Compensatory Allowance:** On and from 1st November, 1999, if an officer is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable:-

Places 1	**Rate** 2
(a) Places in Area I and in the state of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 375/- per month.
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs. 250/- per month.

"

(b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) **Deputation Allowance**: On and from 1st November, 1999, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 7.75% of pay subject to a maximum of Rs. 1000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum of Rs.500/- per month.

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at 4% of his pay subject to a maximum of Rs.500/- per month."

(c) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) **Mid Academic Year Transfer Allowance.-** On and from the appointed date if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, a mid academic year transfer allowance of Rs.300/- per month from the date he reports to the latter place up to the end of academic year in respect of all the children provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.";

(vi) in regulation 18, in sub-regulation (1), in clause (b), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted namely:-

" (iv) On and from 1st November, 1999 in addition to diseases mentioned in sub-clause (iii) above, the following diseases shall also become eligible for domiciliary treatment, other conditions remaining unchanged.

Hepatitis –B, Haemophillia and Myaestheniagravis.";

(vii) for regulation 19, the following regulation shall be substituted, namely:-

"**19. Residential Accommodation.**- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from 1st November, 1999, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.5% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him.

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.";

(viii) in regulation 25, in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided that Casual Leave not availed of in the year 2001 or in any subsequent year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following three years.";

(ix) in regulation 28, the following proviso shall be inserted namely :-

" Provided that in case of additional sick leave availed on or after 29th June, 1999 commutation of additional sick leave may be allowed in accordance with sub-regulation (2) of regulation 27.";

(x) for regulation 29, the following regulation shall be substituted, namely:-

" 29. **Maternity Leave.-** (1) On an from 1st day of April, 2000, leave up to a period of 6 months at a time may be granted by way of Maternity Leave including in respect of post-natal period or at the time of miscarriage or abortion or medical termination of pregnancy.

Provided that not more than 12 months of such leave shall be available during the entire period of service of the officer.

(2) Leave may also be granted once during service to a childless female employee for legally adopting a child which is below one year of age till it reaches the age of one year, subject to a maximum period of two months on the following terms and conditions:

(i) Leave will be granted for adoption of only one child.

(ii) The adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave.";

(xi) for regulation 32, the following regulation shall be substituted, namely:-

" **32.Lapse of leave.**- Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination;

Provided that where an officer retires from the Bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding 240 days, of privilege leave that he had accumulated;

Provided further that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period, not exceeding 240 days of privilege leave to his credit as on the date of his death.

Provided also that where an officer leaves or discontinues his services by resignation on or after 1st April, 2001, after giving due notice under clause (a) of sub-regulation (2) of

regulation 14, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of 120 days.";

(xii) in regulation 33, at the end, the following shall be added, namely:-

"and if the officer and the members of his family go back to the same station from which he was called, for the return journey also.";

(xiii) in regulation 35, in sub-regulation (4),

(a) before the proviso, the following shall be inserted, namely:-

"On and from 1st November, 2003, officer in the grade/scale set out in column 1 of the Table below shall be entitled to 'per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in column 2 thereof:

1	2		
Grade/Scale of officers	**Major 'A" Class Cities**	**Area I**	**Other Places**
Officers in Scale IV and above	Rs. 340/-	Rs. 270/-	Rs. 240/-
Officers in Scale I/II/III	Rs. 270/-	Rs. 240/-	Rs.200/-

"

(b) for proviso (b), the following proviso shall be substituted, namely:-

" (b) On and from 1st November, 2003, Officers in various grades/scale may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in India Tourism Development Corporation Hotels, subject to the limits as given below :

Grades/ Scales of officers	Eligibility to Stay	Boarding charges (Rupees)		
		Major 'A' Class	Area I	Other Places
Scale VI & VII	4* Hotel	Rs. 340/-	Rs. 270/-	Rs. 240/-
Scale V	3* Hotel	Rs. 340/-	Rs. 270/-	Rs. 240/-
Scale IV	3* Hotel	Rs. 340/-	Rs. 270/-	Rs. 240/-
Scale II and III	2* Hotel (Non A/C)	Rs. 270/-	Rs. 240/-	Rs.200/-
Scale I	1* Hotel (Non A/C)	Rs. 270/-	Rs. 240/-	Rs.200/-

"

(xiv) in regulation 36,

(a) in sub-regulation (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) On and from the 1st day of April, 1998 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train up to the following limits:

Pay Range	Where an officer has family	Where an officer has no family
Rs. 7,100 per month to Rs. 9,820/- per month	3,000 Kgs	1,500 Kgs
Rs. 9,821 per month and above	Full Wagon	2,500 Kgs

(b) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(3) On and from the appointed date, an officer on transfer will be eligible to draw a lump sum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage etc.

Scale	Lump Sum
Officers in Scale IV & above	Rs.5000/-
Officers in Scale I/II/III	Rs.4000/-

"

(xv) in regulation 39, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

" (2) (a) In case of an officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the Bank.

(b) In case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the officer and a matching contribution by the Bank shall be made at the rate of 10% of pay.

(3) Officers joining the Bank's services on or after 20th May, 2003 shall be governed by the Pension Scheme.

Provided that the following categories of officers shall not be covered by the Pension Scheme:

(a) An officer who was in service of the Bank prior to 20th May, 2003, unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to Bank's notice to that effect

(b) An officer who is recruited on or after 20th May, 2003 at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to Pension in terms of the Pension Scheme.

Note:

'Pay' for the purpose of Provident Fund shall mean Basic Pay including Stagnation Increments, Professional Qualification Allowance and increment component of Fixed Personal Allowance." ;

(xvi) in regulation 40, in sub-regulation (2), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided further that pay for the purpose of Gratuity of an officer who ceased to be in service during the period 1st April, 1998 to 31st October, 1999 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.";

P. K. KAUL, General Manager
[ADVT-III/IV/Exty/157/07]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R.No. 213(E) dated 11th April, 1997 and amended vide G.S.R. 650(E) dated 30th October, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.